

न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 50 / बी-121 / 2014-15

: आदेश ::

(आज दिनांक 06/07/2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 08.06.2015 को घटनस्थल ग्राम बिलवट तहसील अलीराजपुर में सड़क दुर्घटना (डंफर एवं मोटरसाईकिल से) होने पर नानला पिता इन्द्रीया उर्फ इन्दरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम कनेरा गंभीर रूप से घायत होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 7,500/- (सात हजार पाँच सौ रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार अलीराजपुर के अभिमत से सहमत होकर थाना रिपोर्ट एवं एम:एल.सी. रिपोर्ट, के आधार पर घायल नानला पिता इन्द्रीया उर्फ इन्दरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम कनेरा तहसील कटिठवाडा को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 7,500/- (सात हजार पाँच सौ रूपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या 02-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावे।

Sid
(शेखर वर्मा)
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

पृ0क / 642 / रीडर / 2015

अलीराजपुर दिनांक.....6/7/15

प्रतिनिधि:-

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर । संलग्न बैंक खाते की छाया प्रति
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर / कटिठवाडा ।
- 5 तहसीलदार तहसील अलीराजपुर / कटिठवाडा ।
- 6 जिला जन सम्पर्क अधिकारी अलीराजपुर की ओर प्रचार-प्रसार हेतु ।
- 7 संबंधित नानला पिता इन्द्रीया इन्दरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम कनेरा की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर